आवश्यक/तत्काल निर्गत/फैक्स

एच0सी0 अवस्थी,
भा0पु0से0

डीजी परिपत्र संख्या- 19 /2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः जून 05, 2021

विषयः-जहरीली अवैध शराब पीने से घटित होने वाली दुःखद एवं लोमहर्षक घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय

कृपया विदित हो कि विगत दिनों कतिपय जनपदों में जहरीली अवैध शराब पीने से काफी संख्या में लोगों की मृत्यु जैसी दुःखद घटना घटित हुई है। इस प्रकार की घटनाओं से जहां एक ओर जनता में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर इससे कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की भी सम्भावना होती है।

| |
|---|
| डीजी परिपत्र संख्या-54/2013 दिनांक-27.09.2013 |
| डीजी परिपत्र संख्या-08/2015 दिनांक-25.01.2015 |
| डीजी परिपत्र संख्या-73/2015 दिनांक-02.11.2015 |
| डीजी परिपत्र संख्या-44/2016 दिनांक-20.07.2016 |
| डीजी परिपत्र संख्या-36/2016 दिनांक-06.07.2018 |
| डीजी परिपत्र संख्या-42/2020 दिनांक 29.11.2020 |
| संख्या-डीजी-आठ-96(अ0श0नि0)/2021 दिनांक-13.01.2021 |
| संख्या-डीजी-आठ-96(अ0श0नि0)/2021 दिनांक-24.03.2021 |

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु अवैध शराब के निष्कर्षण/संचय/विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पूर्व में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित दिशा-निर्देश किये गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। आप सभी से पुनः अपेक्षा की जाती है कि विषाक्त मदिरा काण्डों की रोकथाम हेतु अवैध मदिरा के निर्माण/व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अपने निकट पर्यवेक्षण में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:-

- जनपदों के थानों में नियुक्त आरक्षीगण को उनके बीट क्षेत्र में एवं हल्के के उपनिरीक्षक को उनके हल्का क्षेत्र में इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों तथा स्थानों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र कर उनका चिन्हीकरण करने हेतु उत्तरदायी बनाया जाये। सभी थाना प्रभारी इन चिन्हित व्यक्तियों एवं स्थानों पर प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। सभी क्षेत्राधिकारीगण अपने सर्किल में थानेदारों द्वारा अवैध शराब की बिक्री के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक माह करेंगे।
- जनपद स्तर पर अवैध शराब के निष्कर्षण/संचय/विक्रय के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों में विवेचनात्मक प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित की जाये, ताकि ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हो सके।
- पिछले 10 वर्षों में अवैध शराब के निष्कर्षण/संचय/विक्रय में संलिप्त अभियुक्तों की सूची तैयार कर संलिप्तता के आधार पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करायी जाये।

- विगत में जहरीली अवैध शराब के निष्कर्षण/संचय/विक्रय में पंजीकृत हुए अभियोगों की समीक्षा कर उन मुकदमों में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों की नामजदगी गलत किये जाने के सम्बन्ध में गहन समीक्षा कर ली जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कहीं घटना में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त अभियुक्त का विवेचना के दौरान अभियोग से नाम निकाल तो नहीं दिया गया है। यदि ऐसा पाया जाये तो उस अभियुक्त के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कराते हुए विवेचक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली मृत्यु की घटनाओं से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोगों में संलिप्त अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी करते हुए अभियोग में पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करते हुए आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये जायें।
- ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा-60 के अतिरिक्त भा0द0वि0 की धारा 272 का भी प्रयोग किया जाये, ताकि ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों की जमानत न हो सके तथा अवैध शराब की तस्करी में पकड़े गये वाहनों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा-72 एवं 73 के अनुसार वाहन को सीज करने की कार्यवाही की जाये।
- जहरीली अवैध शराब के कारोबार में प्रत्यक्ष एवं परोक्षतः संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एवं गिरोह बन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये तथा अवैध शराब के व्यापार से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति की गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही भी की जाये।
- यदि किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों से सांठ-गांठ पायी जाती है तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। साथ ही सम्बन्धित ग्राम चौकीदार का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए बर्खास्तगी की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
- मजिस्ट्रेट/आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी की संयुक्त टीम गठित कर शराब की दुकानों एवं उनके स्टाक की चेकिंग नियमित रूप से की जाये तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कठोरतम कार्यवाही करते लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- कतिपय शराब लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अपने सहयोगियों के माध्यम से अन्य स्थानों (Subletting) पर भी शराब की अवैध बिक्री करायी जाती है। यह प्रक्रिया पूर्णतया अवैधानिक है इसे तत्काल रोका जाये तथा सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- जनपद स्तर पर प्रत्येक माह होने वाली अपराध गोष्ठी में जिला आबकारी अधिकारी को भी आमंत्रित किया जाये तथा इस सम्बन्ध में उनसे भी विस्तार से चर्चा कर अवैध मदिरा के रोकथाम हेतु संयुक्त टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करायें।

- उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम-2017 में विभिन्न धाराओं में किये गये संशोधन के साथ-साथ धारा- 60क की वृद्धि की गयी है, जिसके अन्तर्गत अवैध जहरीली शराब के सेवन से मौत होने या स्थायी अपंगता आदि पर जहरीली शराब बनाने और बेचने वाले दोनों को **मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास अथवा (दस लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है।** नियमानुसार संशोधित धाराओं में कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

उपरोक्त दिशा-निर्देश आपके मार्गदर्शन के लिए है। इसके अतिरिक्त आप अपने जनपद में आपराधिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अन्य कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।

2- प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा सुनिश्चित करें, कि विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली मृत्यु का पूर्णरूप से उन्मूलन किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

5/6/17.

( एच0सी0 अवस्थी )

1- पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर एवं वाराणसी ।
2- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उ0प्र0।
2- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।